



राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/53

दिनांक : 10.12.2015

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 121 आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे तथा हेल्थ कैम्पों की व्यवस्था की जिला स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु वाहन के अन्तर्गत राशि रुपये 2.50 लाख (अक्षरे रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निम्नानुसार एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

क्र. सं.	जिले	राशि (रु. में)
1	अजमेर	8000
2	अलवर	14000
3	बांसवाडा	8000
4	बांरा	7000
5	बाठमेर	8000
6	भरतपुर	9000
7	भीलवाडा	11000
8	बीकानेर	6000
9	बूंदी	5000
10	चित्तौड़गढ़	11000
11	चुरू	6000
12	दौसा	5000
13	धीलपुर	4000
14	झुंझुनू	5000
15	गंगानगर	8000
16	हनुमानगढ़	7000
17	जयपुर प्रथम	7000
18	जयपुर द्वितीय	6000
19	जैसलमेर	3000
20	जालौर	8000
21	झालावाड	6000
22	झुंझुनू	8000
23	जोधपुर	10000
24	करोली	5000
25	कोटा	5000
26	नागौर	11000
27	पाली	10000
28	प्रतापगढ़	5000
29	राजसमंद	7000
30	सवाई माधोपुर	5000
31	सीकर	8000
32	सिरोही	5000

P.T.O.

शुभदी


33	टोक	6000
34	उदयपुर	13000
	कुल योग	250000

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 121- आरोग्य राजस्थान की कार्य योजना की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के बजट मद 2210-01-001-(01)-36 में उक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है।

आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे तथा हेल्थ कैम्पों की व्यवस्था की जिला स्तर/ब्लाक/सेक्टर पर प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन आवश्यकतानुसार किराये पर (As an when required) लिया जावे।


वित्त विभाग के निर्देशानुसार घोषणा की क्रियान्विति आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय, निर्धारित प्रयोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करें। आरोग्य राजस्थान योजना की ऑडिट से सम्बन्धित कार्य वित्तीय सलाहकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य) मुख्यालय द्वारा करवाई जावेगी। अन्य सूचनायें (आरटीआई/विधानसभा) मांगी जाने पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि वर्ष 2015-16 में व्यय की जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर तुरन्त भिजवावे।

  
(डॉ. वी.के. माथुर)  
निदेशक (आरसीएच एवं प.क.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) निदेशक (आई. ई. सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4. निदेशक (जन स्वा.)।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण को भेजकर लेख है कि राशि रुपये 2.50 लाख पीडी खाते से आहरित कर उपरोक्तानुसार जिलों को तुरन्त भिजवाये।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प.क.) मुख्यालय
9. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
11. सर्वर रूम।

  
निदेशक (आरसीएच एवं प.क.)

arogya.rajasthan@gmail.com